ई-डिस्टिक्ट के अन्तर्गत जारी..



## उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

गोरखपुर जिला

चौरी चौरा तहसील जारी दिनांक: 03/09/2022

221880030193220 आवेदन क्र० 584223014312 प्रमाणपत्र क्र०

प्रमाणित किया जाता है कि


पुत्र/पुत्री माता का नाम निवासी

ग्राम तहसील जिला

दुर्गेश कुमार/DURGESH KUMAR कमलेश निषाद

किरन देवी ,बेलवा बेलवा

चौरी चौरा गोरखपुर



यह भी प्रमाणित किया जाता है कि **दुर्गेश कुमार/DURGESH KUMAR** पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III , दिनाँक २० अक्टुबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षो की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ मे यथा विहिप छुट सीमा से अधिक



जारी कर्ता केन्द्र: राम भवन सिंह,बीएलएस जन सेवा केंद्र NEELAM Digitally Signed by

पद: राम भवन सिंह. केन्द्र प्रभारी

चौरा,DUMARAILA,ब्रहमपुर,चौरी चौरा

दिनॉंक: 15/09/2022 हस्ताक्षर एंव महर

स्थान : Sonai,चौरी

SHUKLA O=Personal, S=UTTAR PRADESH

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षरित चौरी चौरा,गोरखपुर दिनॉंक: 03/09/2022

यह प्रमाण पत्र इलेक्टॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट http://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर,सत्यापित किया जा सकता है।